IV 565

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

7 DEC 2012

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 650061

ATTESTED

KR. MOHD. AKRAM KHAN
Advocate
MEERUT.

ट्रस्ट डीड

स्टाम्प शुल्क अंकन–800/– रूपये

हम कि निशान्त शिशौदिया पुत्र श्री वत्सराज सिंह शिशौदिया व विशाल शिशौदिया पुत्र स्व0 श्री वत्सराज सिंह शिशौदिया, निवासीगण 176/2, प्रभात नगर, सूरी नर्सिंग होम के पास, मेरठ के हैं जिन्हें आगे व्यवस्थापक/न्यासीगण/ट्रस्टीगण कहा गया है। व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा, शिक्षा के क्षेत्र व अन्य क्षेत्र में कार्य करने की है जिसके लिये व्यवस्थापकों ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन **11000/–** रूपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी हैं तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिये कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिये एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते है और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन **11000/–** रूपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है

क्रमांक

स्टाम्प का मूल्य अंकन (शब्दों में)

खरीदार का नाम पुत्र

पता

प्रलेख का प्रकार एवं मूल्य

इस स्टाम्प बेचने का प्रयोजन

स्टाम्प विक्रेता का नाम नसीर अहमद

लाइसेन्स संख्या MT-70/86-87

विक्रय स्थल का नाम कचहरी कम्पाउण्ड, मेरठ

विक्रय का दिनांक

ह० स्टाम्प विक्रेता

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 678465

- 5 DEC 2012

कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे। उक्त ट्रस्ट के नाम आज तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है। उक्त व्यवस्थापकों ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे हैं। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं और घोषणा करते हैं कि :–

1. यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम **राणा वैलफेयर एण्ड एजूकेशनल ट्रस्ट (RANA WELFARE & EDUCATIONAL TRUST)** होगा।

2. यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय 816, धौलाना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ होगा परन्तु ट्रस्टीगण को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थानान्तरित कर सकते है।

3. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन **11000/–** रूपये जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति, नकद राशि, निवेश, दान, ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय–समय पर प्राप्त हों, को धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुये धारण करेंगे।

क्रमांक ....
स्टाम्प का मूल्य अंकन .... (शब्दों में) ....
खरीदार का नाम .... पुत्र ....
पता ....
संलग्नक का प्रकार एवं मूल्य ....
एवं स्टाम्प बेचने का प्रयोजन ....
स्टाम्प विक्रेता का नाम — नसीर अहमद
लाइसेन्स संख्या/वर्ष — MT-70/86-87
विक्रय स्थल का नाम — कचहरी कम्पाउण्ड, मेरठ
विक्रय का दिनांक .... ह० स्टाम्प विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 678464

- 5 DEC 2012

4. यह है कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड तथा ट्रस्ट पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा न्यासीगण को समय–समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यासीगण को समय–समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं व विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा। विदेशी संस्थाओं व एन0जी0ओ0 से आर्थिक सहायता प्राप्त करना व उससे संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना। ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अन्य सोसायटी व अन्य ट्रस्टों का उक्त ट्रस्ट में समायोजन करना।

6. यह कि उक्त ट्रस्ट का गठन लाभ रहित कार्यों (Not for Profit) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया गया है।

क्रमांक 19 ......

स्टाम्प का मूल्य अंकन 100 (शब्दों में) ......

खरीदार का नाम ......

पता ......

लेखपत्र का प्रकार एवं मूल्य ......

यह स्टाम्प बेचने का प्रयोजन ......

स्टाम्प विक्रेता का नाम — नसीर अहमद

लाइसेन्स संख्या/वर्ष — MT-70/86-87

विक्रय स्थल का नाम — कचहरी कम्पाउण्ड, मेरठ

विक्रय का दिनांक ......

ह० स्टाम्प विक्रेता

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 678463

05 DEC 2017

7. यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे स्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते है।-

ट्रस्ट के उद्देश्य एवं कार्य–

(1) मेडिकल कॉलिज, डेन्टल कॉलिज, वैटनरी कॉलिज एवं अस्पताल की स्थापना करना व संचालन करना।

(2) इंजीनियरिग कालिज, पॉलीटेक्नीक कॉलिज व टेकनीकल कॉलिज व एजूकेशनल इंस्टीट्युट की स्थापना व संचालन करना ।

(3) बेरोजगार, जरूरतमन्द व बेसहारा स्त्रियों के लिये रोजगार के अवसर प्रदान कराना।

(4) लड़के व लड़कियों के लिये अलग–अलग व संयुक्त विद्यालय, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय व प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।

क्रमांक ....

स्टाम्प का मूल्य अंकन .... (शब्दों में) ....

खरीदार का नाम .... पुत्र ....

पता ....

लेखपत्र का प्रकार एवं मूल्य ....

स्टाम्प बेचने का प्रयोजन ....

स्टाम्प विक्रेता का नाम नसीर अहमद

लाइसेन्स संख्या/वर्ष MT-70/86-87

विक्रय स्थल का नाम कचहरी कम्पाउण्ड, मेरठ

विक्रय का दिनांक ....

ह० स्टाम्प विक्रेता

(5) स्कूल, कालिज, तकनीकी व शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना, सभी प्रकार के ग्रेजुवेशन व पोस्ट ग्रेजुवेशन, प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन व व्यवसायिक कोर्स हेतू कॉलिजों की स्थापना करना व संचालन करना।

(6) नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल (हिन्दी व इंग्लिश मीडियम) व अन्य सभी प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना व संचालन करना।

(7) प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा के लिये विद्यालय खोलना तथा प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिये कार्य करना।

(8) निर्धन वर्ग के उत्थान व विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं (तकनीकी एवं प्रबन्धन तथा स्कूली शिक्षा) की स्थापना एवं संचालन करना, इस वर्ग के व्यक्तियों के लिये समाज उपयोगी कार्य करना।

(9) निर्धन वर्ग के छात्र–छात्राओं व व्यक्तियों की शिक्षा एवं शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।

(10) समाज के विकास व उत्थान के लिये एन0जी0ओ0 की स्थापना करना व इसके लिये कार्य करना।

(11) शैक्षिक किताबों, पेपर (साप्ताहिक, दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका आदि) का प्रकाशन कराना, लाईब्रेरी, रीडिंग रूम तथा होस्टल/ छात्रावास आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

(12) धर्मशाला, आश्रम, क्रेश, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, आध्यात्मिक, साधना एवं योग केन्द्र तथा सभी के लिये धार्मिक स्थल बनवाना व उनकी देखभाल करना।

(13) समाज के दुर्बल व कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिये सभी तरह के चैरिटी के कार्य करना।

(14) देश व विदेश से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये दान व सहायता प्राप्त करना।

(15) निर्धन वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से विकलांगों तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति व सहायता

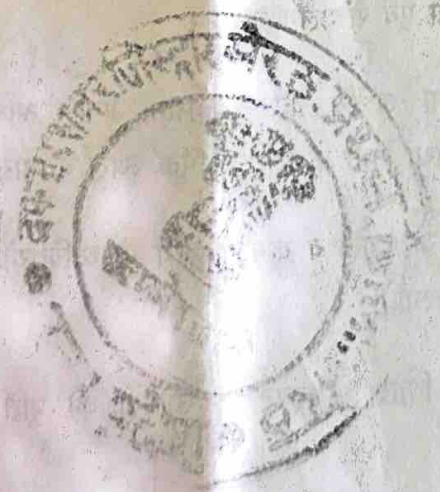

समाज कल्याण विभाग व सरकार से प्राप्त करना तथा उक्त वर्ग के तथा सभी जरूरतमंद छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति व सहायता प्रदान करना।

(16) सरकारी सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नौडल संस्था का बिजनेज प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेन्चाईजी बनकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों, कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस प्रोवाइड करवाना।

(17) समय-समय पर विभिन्न समस्याओं पर जनमानस के विचारों को जानने के लिए प्रपत्र पर प्रारूप तैयार कर उस पर सर्वे कराना।

(18) समाज के प्रत्येक वर्ग में एड्स एवं गम्भीर बिमारियों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना।

(19) गंगा को प्रदुषण मुक्त कराना तथा गंगा सफाई हेतु प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार आदि से सिफारिश करना, जल बचाव सम्बन्धित कार्य करना तथा आम पब्लिक को जल ही जीवन है सम्बन्धित जानकारियाँ देना।

(20) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भवन निर्माण कराना।

(21) हाउसिंग सोसायटी बनाना, रियल एस्टेट के क्षेत्र में कार्य करना व अन्य निर्माण कार्य आधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीक द्वारा कराना।

(22) अस्पताल, औषद्यालय, पैथोलोजी लैब, ब्लड बैंक, रेडियोलोजी व अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।

(23) प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों में पेड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षा रोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़े और अवैध कब्जे भी न हो पाये।

(24) निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिये चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।

(25) गौशाला का निर्माण कराना व गायों की रक्षा व देखभाल करना।

(26) स्कूल व कॉलिज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण एवं एड्स रोग के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।

(27) कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हें क्रय-विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना।

Nishant Sharma

(28) ई.डी.पी. के कार्यक्रम करवाना व उनका संचालन कराना।

(29) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भूमि क्रय करना ट्रस्ट द्वारा क्रयशुदा भूमि पर भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।

(30) उक्त ट्रस्ट की स्थापना बिना किसी लाभ (Not for Profit) के उद्देश्य से की गयी है यानि उक्त ट्रस्ट की स्थापना समाज के हित व कल्याण के लिये की गयी है।

(31) ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना, ट्रस्ट के लिये दान लेना एवं दान की रसीद देना।

(32) वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिये कल्याणकारी हो।

कार्य क्षेत्र–

8. यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारत वर्ष होगा।

ट्रस्टीगण के अधिकार, कर्त्तव्य एवं नियुक्ति–

9. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझे, उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।

11. यह कि व्यवस्थापकों/ट्रस्टीयों ने ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष नियुक्त कर लिया है। व्यवस्थापकों को ट्रस्ट का सुचारू रूप से संचालन करने के लिये नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा।

12. यह कि ट्रस्ट की समिति निम्नवत होगी–

1. निशान्त शिशौदिया (Nishant Sishodia) पुत्र स्व0 श्री वत्सराज सिंह शिशौदिया, निवासी 176/2, प्रभात नगर, सूरी नर्सिंग होम के पास, मेरठ – **अध्यक्ष (President)**

2. श्रीमती शशी शिशौदिया (Smt. Shashi Sishodia) पत्नि स्व0 श्री वत्सराज सिंह शिशौदिया, निवासी 816, धौलाना, तहसील धौलाना, जिला हापुड – **उपाध्यक्ष (Vice President)**

3. विशाल शिशौदिया (Vishal Sishodia)पुत्र स्व0 श्री वत्सराज सिंह शिशौदिया, निवासीगण 176/2, प्रभात नगर, सूरी नर्सिंग होम के पास, मेरठ – **सचिव (Secretary)**

4. श्रीमती श्वेता तोमर (Smt. Shweta Tomar) पत्नि श्री अजय तोमर, निवासी 816, धौलाना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ – **उपसचिव (Vice Secretary)**

5. श्रीमती तान्या शिशौदिया (Smt. Taanya Sishodia) पत्नि श्री विशाल शिशौदिया, निवासी 816, धौलाना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ – **कोषाध्यक्ष (Treasurer)**

यह कि ट्रस्ट के उपरोक्त पदाधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव एवं कोषाध्यक्ष का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा तथा वे व्यवस्थापक ट्रस्टी कहलायेंगे। उक्त पदाधिकारियों का कभी चुनाव नहीं होगा और ना ही कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति उनके चुनाव के लिये कोई कानूनी कार्यवाही करेंगा। उपरोक्त पदाधिकारी अपनी इंच्छा से अपने पद से त्याग–पत्र दे सकते हैं तथा उनका रिक्त पद उक्त पदाधिकारियों में से किसी एक पदाधिकारी को ही मिलेगा। यदि उक्त पदाधिकारियों मे से कोई भी पदाधिकारी अपने पद से त्याग पत्र देता है तो अध्यक्ष व सचिव को उसकी जगह नया पदाधिकारी बनाने का अधिकार होगा। अन्य पदाधिकारी व सदस्य जो बनाये जायेंगे उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। निवर्तमान पदाधिकारियों एवं सदस्यों का पुनः भी चुनाव हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं ट्रस्ट की सदस्यता से त्याग–पत्र देता है और उसे सचिव, अध्यक्ष की सहमति से स्वीकार किया जायेगा। ऐसी दशा में त्याग पत्र देने वाले सदस्य के समस्त अधिकार ट्रस्ट से खत्म हो जायेंगे।

13. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्त्तव्य व दायित्व होंगे :–

अध्यक्ष :– ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना ट्रस्ट के लिये ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना।

उपाध्यक्ष :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना। किन्तु उपाध्यक्ष के द्वारा किये गये कार्य वही वैध होंगे जिनका अनुमोदन अध्यक्ष एवं सचिव से करा लिया जायेगा।

सचिव :– ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठकों को समयनुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना। ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।

उपसचिव :– सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना। किन्तु उपसचिव के द्वारा किये गये कार्य वही वैद्य होंगे जिनका अनुमोदन अध्यक्ष एवं सचिव से करा लिया जायेगा।

कोषाध्यक्ष :– ट्रस्ट की समस्त आय–व्यय का हिसाब रखना व उसको ऑडिट कराना। ट्रस्ट का समस्त व्यय जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा सत्यापित हों उनको अनुमोदित कर भुगतान कराना। ट्रस्ट के खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा या अध्यक्ष एवं सचिव में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा भी खातों का संचालन किया जा सकेगा।

14. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे–न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन–देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्वता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेंगे। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिये आपातकालीन बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी। यदि किसी विषय पर मतभेद हो

जाता है कि तो ऐसी स्थिति में बहुमत से निर्णय लिया जायेगा। यदि व्यवस्थापकों के मत बराबर–बराबर होंगे तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष व सचिव का निर्णय सर्वमान्य होगा।

15. यह कि अध्यक्ष व सचिव समय–समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्धक समिति तथा उसके कार्यकाल एवं नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्धक समिति को सम्बन्धित कार्यों, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिये जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझे प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष ही उक्त समस्त प्रबन्धक समितियों के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष होंगे तथा व्यवस्थापकों की आपसी सहमति से इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है।

16. यह कि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल है, को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

17. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु अध्यक्ष व सचिव को अन्य स्थान पर जहाँ वो उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

18. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टीयों की संख्या का 1/3 अथवा किन्हीं तीन ट्रस्टीयों का, जो भी अधिक हो, होगा। यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है। तो स्थगित बैठक की तिथि, समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीयों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती। ट्रस्टी की उपस्थिति लिखित सूचना/सहमति भेजने पर ही मानी जा सकेगी।

19. यह कि अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समय–समय पर व्यक्तिगत, वित्तीय संस्थाओं, फर्म, बैंक आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार

यास पत्र

11,000.00	110.00	20	130.00	1,000
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री निशान्त शिशौदिया

पुत्र श्री स्व0 वत्सराज सिंह शिशौदिया

व्यवसाय अन्य

निवासी स्थायी 176/2 प्रभात नगर सूरी नर्सिग होम के पास मेरठ/ पैन कार्ड 5971 के

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 10/12/2012 समय 1:16PM

वजे निवन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(निर्मल सिंह)

उप निबन्धक प्रथम,

मेरठ (प्रथम)।

10/12/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री निशान्त शिशौदिया

पुत्र श्री स्व0 वत्सराज सिंह शिशौदिया

पेशा अन्य

निवासी 176/2 प्रभात नगर सूरी नर्सिग होम के पास मेरठ/ पैन कार्ड 5971 के

श्री विशाल शिशौदिया

पुत्र श्री स्व0 वत्सराज सिंह शिशौदिया

पेशा अन्य

निवासी 176/2 प्रभात नगर सूरी नर्सिग होम के पास मेरठ/ पैन कार्ड 0624 पी

होगा। अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों को बंधक रख कर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये उधार/ऋण/बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिये ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा। अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराये पर देने व अन्य सम्पत्तियों को किराये पर लेने तथा सभी प्रकार के शेयरों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

20. यह कि अध्यक्ष व सचिव को उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज़ पर हो या किराये पर हो या क्रय करने या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने, विक्रय करने, किराये पर देने, हस्तान्तरण करने तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. यह कि व्यवस्थापकों को ट्रस्ट द्वारा स्कूल कॉलिज एवं संस्थायें चलाने एवं इनको मैनेज करने का अधिकार होगा। व्यवस्थापकों को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उक्त व्यवस्थापकों की मृत्यु के बाद उनकी संतान अथवा कानूनी वारिस पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

22. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिये उत्तरदायी होंगे तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर, दलाल, एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियाँ आदि रखी गयी हैं और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु व उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण ना हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिये व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होंगे।

23. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैंकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करती हो में खोल और रख सकते हैं। उक्त सभी बैंकिंग एकाउन्ट्स–खातों व अन्य सभी बैंकिंग खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री **शिवम चौहान**

पुत्र श्री **जगत पाल सिंह**

पेशा **अन्य**

निवासी **भदौडा कला पटोदी जि गुडगाव हरियाणा**

व श्री **सतपाल सिंह**

पुत्र श्री **स्व0 कलवा सिंह**

पेशा **अन्य**

निवासी **ग्राम चन्दसारा जि0 मेरठ**

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(निर्मल सिंह)
उप निबन्धक प्रथम,
मेरठ (प्रथम)।
10/12/2012

या उक्त पदाधिकारियों में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा भी खातों का संचालन किया जा सकेगा।

24. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार भी अध्यक्ष एवं सचिव को होगा। वह व्यक्ति जो स्वस्थ मस्तिष्क (साउण्ड माईण्ड) का होगा वह ट्रस्ट का सदस्य बनाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी, गैर सरकारी व अर्द्ध सरकारी सेवा में होगा वो भी ट्रस्ट का सदस्य एवं पदाधिकारी बनाया जा सकता है। उक्त व्यवस्थापकों की मृत्यु के बाद उनके बच्चे क्रमशः उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष, सचिव व अन्य पदाधिकारी होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

25. यह कि ट्रस्ट का पंजीकरण ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा कराया जायेगा।

26. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिक कार्य करने व कराने का पूर्ण अधिकार होगा।

27. यह कि उक्त व्यवस्थापकों द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन अपनी पत्नि व बच्चों या कानूनी वारिसों में से किसी एक को अपनी इच्छानुसार करने का अधिकार होगा। उक्त व्यवस्थापक अपने उत्तराधिकारी का नामांकन करने हेतु स्वतंत्र होगा। जोकि उक्त न्यासी/ट्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर उक्त न्यासी/ट्रस्टी के स्थान पर न्यासी/ट्रस्टी तथा नवनियुक्त ट्रस्टी को एतद द्वारा नियुक्त ट्रस्टी के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा। ऐसे नामित व्यक्ति व्यवस्थापक ट्रस्टी कहलायेंगे।

28. यह कि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाब्ता हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगे जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका ऑडिट चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

29. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा

न्यासी

Registration No.: 565 Year : 2,012 Book No. : 4

0101 **निशान्त शिशौदिया**

स्व0 वत्सराज सिंह शिशौदिया

176/2 प्रभात नगर सूरी नर्सिंग होम के पास मेरठ/ पैन कार्ड 597

अन्य

0102 **विशाल शिशौदिया**

स्व0 वत्सराज सिंह शिशौदिया

176/2 प्रभात नगर सूरी नर्सिंग होम के पास मेरठ/ पैन कार्ड 062

अन्य

सर्शत अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और न्यासीगण उसमें हुई किसी हानि के लिये जिम्मेदार नहीं होंगे।

30. यह कि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होंगे तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापकों–न्यासीगण ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

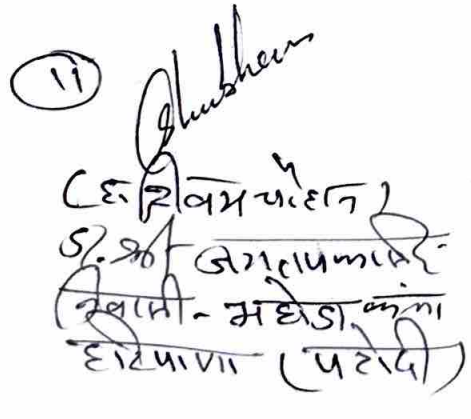

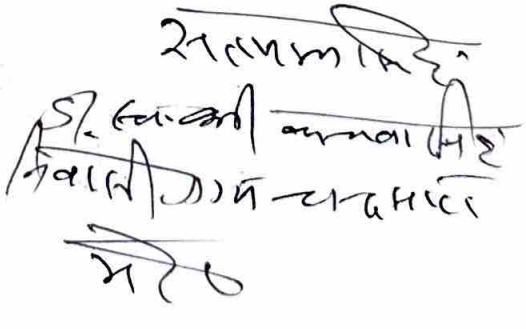

तहरीर तारीख 10.12.2012 मसविदा मौ0 अकरम खान एडवोकेट टाईपकर्ता विपिन कुमार।

KR. MOHD. AKRAM KHAN
Advocate
MEERUT.

आज दिनांक **10/12/2012** को

वही सं. **4** जिल्द सं **429**

पृष्ठ सं **187** से 217 पर कमांक **565**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(निर्मल सिंह)

उप निबन्धक प्रथम,

मेरठ (प्रथम)।

10/12/2012